University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

संख्या ....
दिनांक..................

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
2. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली)
   लखनऊ विश्वविद्यालय,
   लखनऊ।

विषयः–प्रदेश में लू–प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए हिट–वेव (लू) प्रबंधन कार्य–योजना–2025 बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–743/सत्तर–3–2025, दिनांक 03 अप्रेल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर लू से बचाव हेतु शमन तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु दिये गये निर्देश के कम में विभागीय एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार/अद्यतन कर उसका कियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा हीटवेट कार्य योजना की प्रति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा हीटवेव से बचाव एवं शमन हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई–मेल (upsdma@gmail.com) पर प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देश के कम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में अनुरोध है कि प्रदेश में लू–प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए हीट–वेव (लू) प्रबंधन कार्य–योजना–2025 बनाये जाने एवं उसका कियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना प्राधिकरण की ई–मेल पर प्रेषित करते हुए एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि।

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या–GA-7298-7304 दिनांक–16/04/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद्, ल0वि0।
4. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0।
5. इंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महाविद्यालयों के लिंक पर अपलोड करने तथा समस्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करे।
6. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–743/सत्तर–3–2025, दिनांक 03 अप्रेल, 2025 के कम में सूचनार्थ
7. कार्यालय प्रति।

16.4.2025
कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-743/सत्तर-3-2025

प्रेषक,
एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 — लखनऊः दिनांक : 03 अप्रैल, 2025

विषयः प्रदेश में लू-प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए हीट-वेव (लू) प्रबंधन कार्य-योजना-2025 बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या- 1567/रा0आ0प्र0प्रा0/हीटवेब/2024-25, दिनांक 17.03.2025 (छाया प्रति संलग्न), जो प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र में यह अवगत कराते हुए कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा वर्तमान वर्ष के माह मार्च से मई, 2025 के मध्य सामान्य से अधिक तापमान होने का अनुमान जारी किया गया है। राज्य एवं जनपद स्तर पर लू से बचाव हेतु शमन तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में विभागीय एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार/अद्यतन कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा हीटवेच कार्य योजना की प्रति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा हीटवेव से बचाव एवं शमन हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई-मेल (upsdma@gmail.com) पर प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय
Signed by
Surya (एस0पी0 मिश्र)
Date: 03-04-2025 19:03:44

OS(GA)
Registrar 3/4/25

संख्या 743 /सत्तर-3-2025

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

बी–1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

उत्तर प्रदेश

संख्या– 1567/रा0आ0प्र0प्रा0/हीटवेव/2024–25

दिनांकः 17 मार्च, 2025

प्रेषक,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

संख्या 725/PSHED/2025
दिनांक 21/3/2025

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, कृषि, पंचायतीराज, नगर विकास, ग्राम्य विकास, श्रम, वन, पर्यावरण, परिवहन, पर्यटन, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग, जल निगम विभाग, भारतीय रेलवे, लखनऊ मेट्रों रेल कॉरपोरेशन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषय–प्रदेश मे लू–प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए हीट–वेव (लू) प्रबंधन कार्य–योजना–2025 बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.1-64/2025-Admn, दिनांक 06.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष–2025 में प्रदेश में प्रभावी हीटवेव न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), द्वारा वर्तमान वर्ष के माह मार्च से मई, 2025 के मध्य सामान्य से अधिक तापमान होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है, तद्क्रम में लू–से बचाव हेतु शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के उचित उपाय किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार हैः–

- एनडीएमए गाईडलाइन–2019 के अनुसार हीट वेव ऐक्शन प्लान (एचएपी) का अपडेशन करना;
- हीट वेव एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु उसकी प्रति समस्त जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराना;
- हीट वेव प्रबंधन में सम्मिलित समस्त हितधारक विभागों और गैर–सरकारी संगठनों, आईएमडी के स्थानीय कार्यालयों, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय और एसएमएस, व्हाट्सएप और सीएपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हीट वेव चेतावनियों का प्रसारण करना;

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

बी–1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

- राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक चेतावनी संप्रेषित करने और एचएपी के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए प्रत्येक स्तर (राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर) पर एक नोडल अधिकारी नामित करना;
- राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों/जनपदों/ब्लाकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हीट वेव की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करना;
- सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति तभी दिया जाना जब संबंधित जिलों/शहरों के लिए गंभीर गर्मी की चेतावनी जारी नहीं की गई हो;
- यातायात पुलिस कर्मियों के लिए छाया और पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- हीट वेव प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के साथ नियमित रूप से समन्वय करना;
- प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन/धार्मिक स्थलों पर लू से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था करना;
- राज्य स्तरीय संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली हीट वेव प्रबंधन संबंधी अन्य गतिविधियों हेतु एनडीएमए एडवाइजरी–2024 अनुपालनार्थ संलग्न है।

प्रदेश में हीट वेव (लू–प्रकोप) प्रभावी शमन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया हेतु जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों निम्नानुसार हैं:–

- राज्य हीट वेव कार्ययोजना के अनुसार जनपदीय हीट वेव कार्य योजना बनाना/अद्यतन करना और क्रियान्वित करना;
- जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करना;
- लू–प्रकोप से बचाव हेतु क्या करें और क्या न करें के विषय में जनता को सूचित एवं शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान संचालित करना:
- लू–प्रकोप संबंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों के संबंध में नियमित प्रेस कान्फ्रेन्स का आयोजन करना;
- लोक भवनों, मॉल, धार्मिक स्थलों इत्यादि में कूलिंग सेन्टर क्रियाशील करना;
- लू–प्रकोप की स्थिति में गैर सरकारी संगठनो/सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल एवं छाछ की व्यवस्था किये जाने का आग्रह करना;
- बिजली वितरण/ट्रांसमिशन कंपनियों से सभी अस्पतालों और पीएचसी/सीएचसी/यूएचसी जैसे केन्द्रों पर बिजली आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता देने का आग्रह करना;
- स्थानीय स्तर पर जब भी आवश्यक हो स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों आदि का परिवर्तित समय लागू करना;
- स्थानीय स्तर पर हीटवेव प्रबंधन हेतु अन्य आवश्यक उपाय करना।

उक्त के क्रम हीट वेव रेडियो जिंगल Creative प्राधिकरण की वेबसाइट (लिंक https://upsdma.up.nic.in/heatwave.htm) पर उपलब्ध है। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश हीट वेव कार्य योजना 2025 कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। इस कार्य योजना में हीट वेव शमन, तैयारी, जनजागरूकता सामग्री, पूर्व चेतावनी प्रसार, प्रतिक्रिया, उपचार विधि इत्यादि के साथ–साथ समस्त संबंधित विभागों /प्रभागों/संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्व का उल्लेख किया

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
बी–1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

गया है। तद्नुसार प्रदेश में हीट वेव प्रबंधन हेतु विभागीय/जनपद स्तरीय कार्य योजना बनाना और उसका क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। हीट वेव (लू) से बचाव संबंधी संलग्न आई०ई०सी० सामग्री (पोस्टर/पैम्फलेट) प्राधिकरण की वेबसाइट (लिंक https://upsdma.up.nic.in/heatwave.htm) पर भी उपलब्ध हैं और प्राधिकरण द्वारा निर्मित लू से बचें और बचायें नामक रोचक कार्टून फिल्म प्राधिकरण की वेबसाइट एवं यूट्यूब (लिंक https://www.youtube.com/watch?v पर उपलब्ध है जिसका उपयोग व्यापक जनजागरूकता हेतु किया जा सकता है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार/अद्यतन कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा हीटवेव कार्य योजना की प्रति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा हीटवेव से बचाव एवं शमन हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई–मेल (upsdma@gmail.com) पर प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(राम केवल)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक,उ.प्र.।
3. महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, उ0प्र0।
4. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेशित।
5. समस्त नगर आयुक्त, उ.प्र.को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बंधित नगर की सिटी हीट कार्ययोजना तैयार करकर उसका क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।
6. निजी सहायक, मा0 उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
7. गार्ड फाइल।

(राम केवल)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।